विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अनूप कुमार गुप्ता, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर।

	प्रश्न		उत्तर
1(क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-118 बीजेपी यूपी-2024 दिनांक 07/07/2024 जो कि जनपद बाराबंकी के गाटा संख्या-215क स्थित ग्राम गेरावॉ की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में अध्यक्ष राजस्व परिषद, लखनऊ उ0प्र0, जिलाधिकारी बाराबंकी को तथा अनुस्मारक पत्र संख्या-178 बीजेपी यूपी-2024 दिनांक 05/08/2024 अध्यक्ष राजस्व परिषद, उ0प्र0, मण्डलायुक्त अयोध्या मण्डल अयोध्या तथा जिलाधिकारी बाराबंकी को प्रेषित किया गया था, कब प्राप्त हुआ है ?		जी हां। पत्र संख्या-118 बीजेपी यूपी-2024 दिनांक 27.07.2024 को तथा अनुस्मारक पत्र संख्या-178 बीजेपी यूपी-2024 दिनांक 17.08.2024 को प्राप्त हुआ है।
(ख)	उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?		गाटा संख्या-215(क) पर दबंग ग्राम प्रधान द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाया जाना।
(ग)	क्या गाटा संख्या-215क सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवा दिया गया है ?		गाटा सं० 215क ग्राम गेरावां जो०च०आ० 45 में खाता संख्या-1 भूमि जो भूमिधरों के अधिकार में हो के संदर्भित भूमिधरों के अधिकार में हो, की श्रेणी में अम्बर बक्श सिंह पुत्र हरख बहादुर सिंह के नाम दर्ज है जिसका कुल क्षेत्रफल 10-2-3 है। खातेदार अम्बर बक्श सिंह पुत्र हरख बहादुर सिंह की उक्त भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1960 अन्तर्गत क्षे0 6-3-0 अतिरिक्त घोषित की गयी, जिसके विरुद्ध क्षेत्रपति अम्बर बक्श सिंह द्वारा अपीलें एवं रिट याचिकाएं दायर की गयीं, जिसमें अन्तिम रूप से रिट याचिका संख्या 3544/1987 में पारित आदेश दिनांक 17.04.1987 द्वारा नियत प्राधिकारी के आदेश दिनाँक 28.03.1981 और अपीलीय अधिकारी आयुक्त फैजाबाद मण्डल फैजाबाद के आदेश दिनाँक 03.03.1987 को निरस्त करते हुए याची का विकल्प प्राप्त करते हुए पुनः गुण दोष के आधार पर भूमि को अतिरिक्त घोषित करने हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये गये। इस आदेश के पश्चात अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं० 215 क्षेत्रफल 6-3-0 विधिक रूप से अतिरिक्त घोषित भूमि नहीं रह गयी। यद्यपि राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 215मि0/0.404, 215मि०/0.404, 215 मि०/ 0.379 व 215मि०/0.367हे० अतिरिक्त घोषित भूमि दर्ज है जिसका कुल क्षेत्रफल 1.554हे0 होता है जोकि अतिरिक्त

			घोषित भूमि 6-3-0 ही है शेष भूमि 215मि0/1.013 अभी भी मूल खातेदार के वारिसान धर्मेन्द्र प्रताप सिंह व रवीन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राजकरन सिंह निवासी ग्राम बली गेरावां के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 17.04.1987 के पूर्व ही उपजिलाधिकारी हैदरगढ द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि का चार व्यक्तियों के नाम आवंटन स्वीकृत किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 3544/1987 में पारित आदेश के समादर में धारा 27 (4) अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय अपर आयुक्त (प्रशासन) फैजाबाद मण्डल फैजाबाद वाद सं० 54 (2001/02) / बाराबंकी अम्बर बक्श सिंह बनाम गयादीन आदि में पारित आदेश दिनॉक 29.02.2008 द्वारा गाटा सं0 215 क्षे० 6-3-0 का आवंटन उक्त भूमि के सीलिंग भूमि न रह जाने के कारण निरस्त कर दिया गया। अग्रेतर न्यायालय नियत प्राधिकारी सीलिंग बाराबंकी के न्यायालय से अम्बर बक्श सिंह की भूमि को नये सिरे से अतिरिक्त भूमि घोषित करने सम्बंधी आदेश सी०एल०एच०-7 पर अंकित नही है और इस कारण गाटा सं० 215मि0 क्षे० 1.554 को अतिरिक्त घोषित भूमि नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार गाटा सं0-215क सरकारी भूमि न होकर संक्रमणीय भूमिधर की भूमि है।
(घ)	यदि हाँ, तो कब तक ?		उपरोक्तानुसार।
(ड़)	यदि नहीं, तो क्यों ?		प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री